भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4654

उत्तर देने की तारीख : 21.08.2025

लघु उद्यमों के लिए ऋण संबद्ध योजनाएं

4654. डॉ. मल्लू रवि :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अप्रैल 2025 के बाद लघु उद्यमों के लिए कोई अद्यतन ऋण-संबद्ध योजनाएं शुरू की हैं; और

(ख) आपातकालीन ऋण सहायता गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के विस्तार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के अस्तित्व और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) को कार्यान्वित करता है, जिसमें सदस्य ऋणदाता संस्थानों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज, बिना किसी कॉलेटरल प्रतिभूति या थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता के प्रदान की जाती है। दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी, गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

ऋण से जुड़ी सहायता प्रदान करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और राष्ट्रीय एससी-एसटी हब (एनएसएसएच) के तहत विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं।

(ख): योजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र राशि के संबंध में शत-प्रतिशत गारंटी के साथ मौजूदा पात्र ऋणप्राप्तकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) का प्रावधान है। ईसीएलजीएस पर भारतीय स्टेट बैंक की दिनांक 23.01.2023 की शोध रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 14.6 लाख एमएसएमई खाते, जिनमें से लगभग 93.8% खाते एमएसई श्रेणियों में थे, को बचाया गया था।

******